

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड (Technology Acquisition And Development Fund Under National Manufacturing Policy – Economy)

चर्चा में क्यों?

हाल में औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभागम द्वारा विनिर्माण नीति के तहत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास फंड (धन) का आरंभ किया गया।

टीएडीएफ क्या है?

- स्क्ष्मा, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमईएस) द्वारा भारत या विश्व में उपलब्ध साफ, हरित एवं ऊर्जा दक्षता तकनीकें हासिल करने के लिए यह एक नयी योजना है।
- टीएडीएफ योजना का क्रियान्वयन "वैश्विक नवोन्मेष तथा प्रौद्योगिकी सहयोग" (जीआईटीए) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी (संघ) द्वारा किया जाएगा। इसके तहत निम्न बातें उल्लिखित हैं:
 1. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष समर्थन।
 2. पेटेंट (एकस्व) निकाय (पूल) के माध्यम से तकनीक अधिग्रहण करने में अप्रत्यक्ष मदद
 3. तकनीक/उपकरण विनिर्माण सब्सिडी (सरकार द्वारा आर्थिक सहायता)।
 4. राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) में स्थित उद्योगों में संसाधन संरक्षण गतिविधियों को सुगम बनाकर यह योजना हरित निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।